371

479

ायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

R. 5059-दो/15 **(म0प्र0)**

COURT FEE 20 Rs भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

1. उदय राज मिश्रा पिता लालमणि मिश्रा उम्र करीब 45 वर्ष
2. लालमणि मिश्रा पिता रविकरणराम मिश्रा उम्र करीब 75 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम चकदही तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

412
16.9.15

...........................**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. श्री मती रमा देवी पत्नी तरुणेन्द्र शेखर पुत्री नन्दनी प्रसाद उम्र करीब 45 वर्ष
3. सुधीर कुमार पिता सुरेश प्रसाद
4. संजय कुमार पिता सुरेश प्रसाद
5. अमित कुमार पिता सुरेश प्रसाद **2 त 5 सभी निवासी ग्राम सिरमौर क्योटी रोड तालाब के समाने तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)**
6. ब्रजबिहारी पिता सौखीलाल

निवासी ग्राम चकदही, तहसील सेमारिया जिला रीवा (म0प्र0)

................................**गैरनिगरानीकर्तागण**

हिमान्शु शुक्ला
16-9-15

निगरानी विरुध्द राजस्व निरीक्षक द्वारा भूमि खसरा न0 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 व 95/5 स्थिति ग्राम सेदुरगौर कला 562, हल्का देवरी तहसील सेमारिया जिला रीवा का तर्मीम किये गये नक्शा दिनांक 06.07.13 के विरुध्द

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

यह कि निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

1- यह कि ग्राम सेदुरगौर कला 562 , हल्का देवरी, तहसील सेमारिया, जिला रीवा स्थिति भूमि खसरा न0 95/5 रकवा 1.214 हे0 का निगरानीकर्ता कमांक 1 व भूमि खसरा न0 95/4 रकवा 0.405 का निगरानीकर्ता कमांक 2 राजस्व अभिलेख दर्ज भूमिस्वामी है, इसी प्रकार प्रत्यर्थी कमांक 2 ता 6 भूमि खसरा कमांक 95/1, 95/2, व 95/3 कुल रकवा 6. 315 हेक्ट0 के राजस्व अभिलेख दर्ज भूमिस्वामी है, परन्तु यहा पर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि भूमि खसरा न0 95/1, 95/2 व 95/3 निगरानीकर्ता कमांक 1 के चाचा स्व0 चन्द्रिका प्रसाद पिता महेश प्रसाद के स्वत्व की आराजिया थी, जिनमे से भूमि कमांक 95/1, व 95/2 को दिनांक 07.05.1986 को प्रत्यर्थी कमांक 2 ता 6 को विकय कर दिया गया। विकी शुदा भूमि के

(371)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक निग.5059— II / 2015 जिला—रीवा

उदयराज मिश्रा / शासन, श्रीमती रमा देवी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, हल्का देवरी, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 06.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	